NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 10-12-2024

विषय सूची

CII ने केंद्र से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का आग्रह किया

भारत के कौशल परिदृश्य में मार्गदर्शन

व्यापारिक नौवहन में सुधार

भारत ड्रोन रोधी इकाई (Anti Drone Unit) गठित करेगा

भारत में तस्करी – रिपोर्ट 2023-24

संक्षिप्त समाचार

एकलिंगजी मंदिर (Eklingji Temple)

नया राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) के कार्यान्वयन के लिए मसौदा दिशानिर्देश

LIC की बीमा सखी योजना

उपराष्ट्रपति की पदच्युति

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)

बांस की कोपलें (Bamboo Shoots)

टंगस्टन (Tungsten)

हिंडन नदी

इंडियन स्टार कछुआ (Indian Star Tortoise)

INS तुषिल

CII ने केंद्र से राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का आग्रह किया

सन्दर्भ

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% और 2025-26 के लिए 4.5% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर बने रहने का सुझाव दिया है।

राजकोषीय घाटा क्या है?

- राजकोषीय घाटे को वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों (राजस्व और पूंजी) पर कुल बजट व्यय (राजस्व और पूंजी) की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- राजकोषीय घाटा = कुल व्यय - (राजस्व प्राप्तियां + गैर-ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियां)।

राष्ट्रीय ऋण

- राजकोषीय घाटा राष्ट्रीय ऋण से अलग है।
- राष्ट्रीय ऋण वह कुल राशि है जो किसी देश की सरकार किसी विशेष समय पर अपने ऋणदाताओं को देती है।
- यह सामान्यतः ऋण की वह राशि होती है जो सरकार ने कई वर्षों तक राजकोषीय घाटा चलाने और घाटे को समाप्त करने के लिए उधार लेने के दौरान जमा की है।

राजकोषीय घाटे के निहितार्थ

- **मुद्रास्फीति का दबाव:** लगातार उच्च राजकोषीय घाटे के कारण मुद्रास्फीति होती है क्योंकि सरकारें घाटे को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए धन का सहारा लेती हैं।
- **क्राउडिंग आउट प्रभाव:** जब सरकार अपने घाटे को वित्तपोषित करने के लिए वित्तीय बाजारों से उपलब्ध धन का एक बड़ा हिस्सा उधार लेती है, तो यह व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण तक कम पहुँच के साथ निजी निवेश को बाहर कर देती है।
- **कम राजकोषीय स्थान:** एक उच्च राजकोषीय घाटा सरकार की आर्थिक आघातों या संकटों का जवाब देने की क्षमता को सीमित करता है।
- **उधार लेने में कठिनाई:** जैसे-जैसे सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होती जाती है, सरकार के बांडों की मांग कम होने लगती है, जिससे सरकार को उधारदाताओं को उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

कम राजकोषीय घाटे के लाभ

- **बेहतर क्रेडिट रेटिंग:** लगातार घाटे में कमी से अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है, जिससे वैश्विक बाजारों में उधार लेने की लागत कम होती है।
- **कम ऋण सेवा:** ब्याज भुगतान पर कम व्यय से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी विकास परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध होता है।
- **बेहतर भुगतान संतुलन:** विदेशी उधार पर कम निर्भरता विनिमय दर और चालू खाते को स्थिर करती है।
- **बढ़ा हुआ निवेशक विश्वास:** राजकोषीय अनुशासन का संकेत देता है, जिससे अधिक विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित होते हैं।

राजकोषीय विवेकशीलता के लिए CII की सिफारिशें

- **राज्य स्तरीय राजकोषीय स्थिरता रिपोर्टिंग:** CII का सुझाव है कि राज्यों को अपने वित्तीय स्वास्थ्य का नियमित मूल्यांकन करने के लिए राजकोषीय स्थिरता रिपोर्टिंग प्रणाली अपनानी चाहिए।

- **राज्य उधार और गारंटी:** 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद, राज्य सीधे बाजारों से उधार ले सकते हैं।
    - हालांकि, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSEs) राज्य गारंटी पर उधार लेते हैं, जिससे राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। CII ने राजकोषीय फिसलन को रोकने के लिए इन गारंटियों की निगरानी के महत्व पर बल दिया है।
- **राज्यों के लिए क्रेडिट रेटिंग प्रणाली:** एक स्वतंत्र और पारदर्शी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली राज्यों को राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है।

आगे की राह

- एन.के. सिंह समिति, 2017 की सिफारिशों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसने ऋण प्रबंधन और राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक, 2017 का मसौदा प्रस्तावित किया था।
- **वित्तीय बचत को प्रोत्साहित करना:** वित्तीय उत्पादों पर कर प्रोत्साहन के माध्यम से उच्च घरेलू वित्तीय बचत को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक बचत योजनाओं पर रिटर्न में सुधार करना और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना।
- **बुनियादी ढांचे के वित्त सुधार:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), बुनियादी ढांचे के बांड और वित्त संस्थानों के विकास के माध्यम से निजी क्षेत्र को शामिल करके बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए तंत्र में सुधार करना।

एन.के. सिंह समिति की सिफारिश

- **ऋण से जीडीपी अनुपात:** समिति ने राजकोषीय नीति के लिए प्राथमिक लक्ष्य के रूप में ऋण का उपयोग करने का सुझाव दिया। वित्त वर्ष 23 तक केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा के साथ 60% का ऋण से GDP अनुपात लक्षित किया जाना चाहिए। वित्त वर्ष 23 तक राजकोषीय घाटा से GDP अनुपात 2.5% होना चाहिए।
- **राजकोषीय परिषद:** समिति ने केंद्र द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और दो सदस्यों के साथ एक स्वायत्त राजकोषीय परिषद बनाने का प्रस्ताव रखा।
- परिषद की भूमिका में शामिल होंगे:
    - बहु-वर्षीय राजकोषीय पूर्वानुमान तैयार करना,
    - राजकोषीय रणनीति में परिवर्तन की सिफारिश करना,
    - राजकोषीय आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना,
    - राजकोषीय लक्ष्य से विचलित होने की स्थिति में सरकार को परामर्श देना।
- **विचलन:** समिति ने सुझाव दिया कि जिन आधारों पर सरकार लक्ष्यों से विचलित हो सकती है, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, तथा सरकार को अन्य परिस्थितियों को अधिसूचित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- **व्यक्तिगत राज्यों के लिए ऋण प्रक्षेपवक्र:** समिति ने सिफारिश की कि वित्त आयोग से व्यक्तिगत राज्यों के लिए ऋण प्रक्षेपवक्र की सिफारिश करने के लिए कहा जाना चाहिए।
    - यह उनके राजकोषीय विवेक और स्वास्थ्य के ट्रैक रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए।

Source: TH

भारत के कौशल परिदृश्य में मार्गदर्शन

सन्दर्भ

- प्रशिक्षण और कौशल के लिए एक व्यापक संस्थागत और नीतिगत ढांचे के बावजूद, भारत को अपने कार्यबल के कौशल और उद्योग की मांग के बीच के अंतर को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

भारत की कार्यबल क्षमता

- भारत की जनसँख्या का एक बड़ा भाग 35 वर्ष से कम आयु का है, और कामकाजी आयु वर्ग की जनसँख्या (15-59 वर्ष) 2030 तक 62% से बढ़कर 68% होने की उम्मीद है।
- इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) भूमिकाओं में भारतीय स्नातकों के बीच 48% की आशाजनक रोजगार दर पर प्रकाश डाला गया है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक मजबूत प्रतिभा पूल को इंगित करता है।

भारत में कौशल की आवश्यकता/महत्व

- **रोजगार की कमी को पूरा करना:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत को अपने बढ़ते कार्यबल की माँगों को पूरा करने के लिए 2030 तक गैर-कृषि क्षेत्र में वार्षिक 78.5 लाख नए रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है।
- **रोजगार क्षमता बढ़ाना:** मुख्य आर्थिक सलाहकार ने हाल ही में उल्लेख किया कि भारत के केवल 51% स्नातक ही रोजगार योग्य हैं। यह कौशल पहल की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो शैक्षिक परिणामों को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कम पहुँच और गुणवत्ता:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, 15-29 वर्ष की आयु के केवल 21% भारतीय युवाओं ने व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि मात्र 4.4% ने औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **उद्योग 4.0 के अनुकूल होना:** इसके लिए नए युग के कौशल से युक्त कार्यबल की आवश्यकता है जो उद्योग 4.0 की आवश्यकताओं जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स और विनिर्माण प्रक्रियाओं में बड़े डेटा को पूरा कर सके।
    - 2025 तक दो तिहाई से अधिक भारतीय निर्माताओं द्वारा डिजिटल परिवर्तन को अपनाने की उम्मीद है। हालाँकि, वर्तमान में केवल 1.5% भारतीय इंजीनियरों के पास इन नए युग के रोजगारों के लिए ज़रूरी कौशल हैं।
- **ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना:** जनसँख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, इसलिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने से शहरी केंद्रों की ओर पलायन को कम करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने में सहायता मिल सकती है।

वैश्विक कौशल मानकों को पूरा करने के लिए कार्यबल का लाभ उठाना

- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** भारत अपने कौशल मानकों को वैश्विक मानदंडों के साथ मान्यता देने और संरेखित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, यूएई एवं यूके जैसे देशों के साथ साझेदारी कर रहा है।
    - ये सहयोग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल बनाने में मदद करते हैं।
- **स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (SIIC):** इन केंद्रों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने वाला प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय श्रमिक वैश्विक रोजगार बाजारों के लिए आवश्यक कौशल से युक्त हों।

- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म:** स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के लॉन्च का उद्देश्य कौशल, शिक्षा, रोज़गार एवं उद्यमिता को एकीकृत करना है, जिससे व्यक्तियों के लिए अपने कौशल प्राप्त करना और उन्हें उन्नत करना आसान हो सके।

भारत में कौशल विकास से संबंधित संस्थागत और नीतिगत ढांचे

- **कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति:** यह देश भर में सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक छत्र ढांचा प्रदान करती है, उन्हें सामान्य मानकों के साथ जोड़ती है और उन्हें मांग केंद्रों से जोड़ती है।
  - यह आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को गति देने के लिए कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर बल देती है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:** इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना है।
  - यह नियोक्ताओं की मांगों को पूरा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रयासों को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  - इसमें संस्थागत तंत्र, मिशन रणनीति और वित्तपोषण जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।
- **क्षेत्र कौशल परिषद (SSCs):** इसे उद्योग-प्रासंगिक कौशल सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):** यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है।
  - यह देश की विविध कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण, पूर्व शिक्षा की मान्यता और विशेष परियोजनाएं प्रदान करता है।
  - यह नए जमाने के कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने और वर्तमान श्रमिकों को फिर से कुशल बनाने पर केंद्रित है।
- **स्किल इंडिया डिजिटल हब प्लेटफॉर्म:** इसमें विभिन्न सरकारी पहल और सेवाएँ जैसे कि ई-श्रम/EPFO, उद्यम, डिजीलॉकर, गतिशक्ति, उमंग, एग्रीस्टैक, PLI योजनाएँ और एक जिला एक उत्पाद (ODOP) आदि शामिल हैं।

नवोन्मेषी दृष्टिकोण

- **समर्थ(SAMARTH) उद्योग भारत 4.0:** इसका उद्देश्य उद्योगों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।
  - भारत अपने कौशल कार्यक्रमों में गेमीफाइड और सिमुलेशन-आधारित शिक्षण मॉड्यूल को शामिल करने पर विचार कर सकता है, जो सीखने को अधिक आकर्षक बना सकता है, कौशल अधिग्रहण में सुधार कर सकता है और प्रशिक्षण सामग्री को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से जोड़ सकता है।
    - गेमीफाइड लर्निंग प्रशिक्षण प्रक्रिया को अधिक आकर्षक और आनंददायक बना सकती है, जिससे ज्ञान प्रतिधारण और कौशल अधिग्रहण में सुधार होता है।
    - सिमुलेशन-आधारित लर्निंग वास्तविक विश्व के परिदृश्यों की नकल करने के लिए आभासी वातावरण का उपयोग करती है, जिससे शिक्षार्थियों को सुरक्षित और नियंत्रित सेटिंग में कौशल का अभ्यास और आवेदन करने की अनुमति मिलती है।

  - SWAYAM और स्किल इंडिया डिजिटल हब (SIDH), भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए दो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, गेमीफाइड एवं सिमुलेशन प्रशिक्षण मॉड्यूल की मेजबानी कर सकते हैं।
- 'स्किल्स ऑन व्हील' कार्यक्रम जैसी पहल का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सीधे प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने समुदाय में ही रोजगार प्राप्त कर सकें।

Source: TH

व्यापारिक नौवहन में सुधार

सन्दर्भ

- सरकार पुराने कानूनों के स्थान पर शिपिंग क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 एवं तटीय शिपिंग विधेयक, 2024 पेश करने की तैयारी में है।

मर्चेंट शिपिंग क्या है?

- मर्चेंट शिपिंग से तात्पर्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों के माध्यम से माल, यात्रियों या कार्गो के परिवहन की वाणिज्यिक गतिविधि से है।
- यह वैश्विक व्यापार और समुद्री अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो आवश्यक वस्तुओं, ऊर्जा आपूर्ति एवं औद्योगिक वस्तुओं की आवाजाही को सक्षम बनाता है।

सुधारों की आवश्यकता

- **पुराने कानून:** मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 और कोस्टिंग वेसल्स एक्ट, 1838 अप्रचलित हैं और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल हैं।
- **नियामक अंतराल:** अपतटीय जहाजों (भारतीय ध्वज वाले जहाजों का 50%) पर निगरानी का अभाव है।
- **नाविक कल्याण:** 1958 के अधिनियम में विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि 2.8 लाख नाविकों में से 85% विदेश में कार्य करते हैं।
- **व्यापार करने में सुलभता:** लाइसेंस-युग के प्रावधान समुद्री प्रशासन को नियामक-सह-सुविधाकर्ता बनने से रोकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय मानक:** भारत के कानूनों में वैश्विक समुद्री सम्मेलनों को लागू करने के लिए सक्षम प्रावधानों का अभाव है।

मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 की मुख्य विशेषताएं

- **पंजीकरण में आसानी:** विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्वामित्व की आवश्यकता को 100% से घटाकर 51% किया गया है।
  - NRIs, OCIs, और LLPs को भारतीय जहाजों का स्वामित्व और पंजीकरण करने की अनुमति देता है।
  - बेअरबोट चार्टर-कम-डेमिस पंजीकरण की अनुमति देता है, जिससे पूंजी की कमी वाले उद्यमी धीरे-धीरे जहाज हासिल कर सकते हैं।
  - जहाजों के पुनर्चक्रण केंद्रों (जैसे, अलंग) के लिए नियत जहाजों के लिए अस्थायी पंजीकरण प्रदान करता है।

- **जहाजों का विस्तृत दायरा:** मशीनीकृत और गैर-मशीनीकृत शिल्पों को शामिल करने के लिए 'जहाजों' की परिभाषा का विस्तार करता है: पनडुब्बी, हाइड्रोफॉइल, बजरे, ड्रोन, MODUs, MOUs, आदि।
    - कार्य नाव और आवास नाव जैसे अपतटीय जहाजों के लिए विनियामक अंतराल को संबोधित करता है।
- **नाविकों का कल्याण:** विधेयक विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्य करने वाले भारतीय नाविकों के लिए कल्याण प्रावधानों का विस्तार करता है।
    - यह बेहतर कार्य स्थितियों, सुरक्षा और लाभों के लिए समुद्री श्रम सम्मेलन (MLC) मानकों को लागू करता है।
- **समुद्री प्रशिक्षण:** उदारीकरण के बाद निजी समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा पेश करता है।
- **समुद्री प्रदूषण नियंत्रण:** नया विधेयक समुद्री प्रदूषण को रोकने और उससे निपटने के लिए IMO सम्मेलनों को पूरी तरह से शामिल करता है, तथा भारत के समुद्री विनियामक ढांचे को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाता है।

समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के 2020 विनियमन के तहत भारत को समुद्री ईंधन में सल्फर की मात्रा को 3.5% से घटाकर 0.5% से कम करना आवश्यक है।
- भारत ने अपने जलक्षेत्र में जहाजों पर एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- बंदरगाहों पर अपशिष्ट निपटान के लिए स्वच्छ सागर पोर्टल शुरू किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) ने समुद्री प्रदूषण को रोकने और उससे निपटने के उद्देश्य से कई सम्मेलनों को अपनाया है, जैसे कि
    - नागरिक दायित्व सम्मेलन (CLC),
    - समुद्री दावों पर देयता की सीमा पर सम्मेलन (LLMC),
    - बंकर सम्मेलन,
    - जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL), और
    - मलबे(Wreck) हटाने का सम्मेलन।

तटीय नौवहन विधेयक 2024

- **विनियमन की पहचान:** तकनीकी जहाज विनियमन को वाणिज्यिक तटीय परिचालन से अलग करता है।
- **विधेयक के मुख्य प्रावधान;**
    - तटीय परिचालन के लिए लाइसेंसिंग और अनुमति।
    - अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग का एकीकरण।
    - संघ और राज्यों को शामिल करते हुए तटीय योजना का विकास।
- यह सागरमाला कार्यक्रम के साथ संरेखित है, जो निम्नलिखित पहलों के माध्यम से तटीय शिपिंग को बढ़ावा देने पर बल देता है;
    - तटीय जहाजों के लिए समर्पित बर्थ और

- तटीय कार्गो आंदोलन के लिए अंतर्देशीय संपर्क में वृद्धि।

सुधारों का महत्व

- **निवेश को बढ़ावा देना:** पोत पंजीकरण नियमों को आसान बनाकर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना।
- **नियामक निरीक्षण:** यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत पोतों का एकसमान विनियमन, विशेष रूप से अपतटीय क्षेत्र में।
- **तटीय सुरक्षा को बढ़ाना:** सख्त पोत विनियमन 26/11 के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** समुद्री प्रदूषण से निपटने और संधारणीय प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ संरेखित करता है।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे को मजबूत करना:** सागरमाला के तहत बंदरगाहों, अंतर्देशीय संपर्क और तटीय सुविधाओं का विकास करना।
- **कुशल कार्यबल:** समुद्री प्रशिक्षण और नाविकों के कल्याण तंत्र को मजबूत करना।
- **पर्यावरणीय जिम्मेदारी:** स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना, समुद्री अपशिष्ट को कम करना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करना।

Source: TH

भारत ड्रोन रोधी इकाई(Anti Drone Unit) गठित करेगा

समाचार में

- रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DRDOऔर अन्य एजेंसियों को शामिल करते हुए एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई की स्थापना की जाएगी।
  - लेजर से लैस ड्रोन रोधी प्रणालियों की तैनाती से पंजाब में अवरोधन सफलता 3% से बढ़कर 55% हो गई।

बढ़ता ड्रोन ख़तरा

- 2023 में 110 की तुलना में 2024 में ड्रोन अवरोधन में उल्लेखनीय वृद्धि (260+ घटनाएँ) होगी।
- ड्रोन का उपयोग मुख्य रूप से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता है, पंजाब में हॉटस्पॉट हैं और राजस्थान एवं जम्मू में कम घटनाएँ हैं।

ड्रोन एक बढ़ता हुआ खतरा क्यों हैं?

- **पहुँच और सामर्थ्य:** ड्रोन तेजी से सुलभ और सस्ते होते जा रहे हैं, जिससे वे गैर-सरकारी अभिनेताओं एवं आपराधिक तत्वों के लिए आकर्षक उपकरण बन गए हैं।
- **बहुमुखी प्रतिभा:** उनकी बहुमुखी प्रतिभा विभिन्न दुर्भावनापूर्ण उपयोगों की अनुमति देती है, जिसमें तस्करी से लेकर तस्करी एवं हथियारों से लेकर निगरानी करना और यहाँ तक कि हमले करना शामिल है।
- **पता लगाना और रोकना मुश्किल:** छोटे ड्रोनों को पारंपरिक रडार सिस्टम से पता लगाना और रोकना मुश्किल है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती है।

भारत का "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण

- **सहयोग महत्वपूर्ण है:** ड्रोन खतरे से निपटने के लिए रक्षा संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और विभिन्न सुरक्षा बलों को शामिल करते हुए बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह एक समन्वित एवं व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- **प्रौद्योगिकी और स्वदेशी विकास:** भारत स्वदेशी एंटी-ड्रोन तकनीक विकसित करने, विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने और रक्षा में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

ड्रोन रोधी प्रणालियों के उदाहरण

- **DRDO की सॉफ्ट किल और हार्ड किल प्रणाली:** ये दो-आयामी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सॉफ्ट किल ड्रोन संचार लिंक को जाम कर देता है और हार्ड किल उन्हें नष्ट करने के लिए लेजर का उपयोग करता है।
- **लेजर से लैस एंटी-ड्रोन गन-माउंटेड मैकेनिज्म:** भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनाती ने ड्रोन खतरों को निष्प्रभावी करने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं।
- **काउंटर ड्रोन सिस्टम (D4 सिस्टम):** यह सिस्टम वास्तविक समय में पता लगाने, ट्रैकिंग और निष्प्रभावी करने की क्षमता प्रदान करता है, जो महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: IE

भारत में तस्करी - रिपोर्ट 2023-24

सन्दर्भ

- राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने वार्षिक 'भारत में तस्करी - रिपोर्ट 2023-24' रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख विशेषताएं

- भारत में कोकीन की तस्करी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी देशों के माध्यम से सीधे मार्गों के माध्यम से।
- एजेंसी ने 2023-24 में हवाई मार्ग से कोकीन की तस्करी के 47 मामले दर्ज किए, जबकि पिछले वर्ष 21 मामले दर्ज किए गए थे।
- हाइड्रोपोनिक मारिजुआना की तस्करी अमेरिका, थाईलैंड और अन्य देशों से की जा रही है।
- **ब्लैक कोकीन**: एक खतरनाक प्रवृत्ति "ब्लैक कोकीन" का उभरना है, जो एक नई किस्म की दवा है जिसे मानक पहचान विधियों का उपयोग करके पता लगाना मुश्किल है।
    - इसे चारकोल या आयरन ऑक्साइड जैसे पदार्थों के साथ रासायनिक रूप से छिपाया जाता है, जिससे एक काला पाउडर बनता है जो ड्रग-सूँघने की तकनीकों से बच सकता है।
- **अवैध सोने का आयात:** भारत सोने और चांदी के साथ अवैध सोने के आयात का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है।
    - यह मुख्य रूप से यूएई और सऊदी अरब सहित पश्चिम एशिया से आता है, जहाँ ये धातुएँ कम कीमतों पर उपलब्ध हैं।
    - तस्करी करने वाले सिंडिकेट अब विदेशी नागरिकों और परिवारों के साथ-साथ अंदरूनी लोगों सहित विविध प्रोफाइल वाले "म्लुय्स" को नियुक्त कर रहे हैं।
- **छिद्रपूर्ण पूर्वी सीमाएँ**: भारत की छिद्रपूर्ण पूर्वी सीमाओं, विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, के माध्यम से तस्करी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है।

- यह विशेष रूप से असम और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मेथमफेटामाइन की तस्करी में वृद्धि को दर्शाता है।
- मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) का व्यापारियों द्वारा आयातों के गलत वर्गीकरण और नकली पत्रों के माध्यम से दुरुपयोग किया जाता है।

- **पर्यावरण और वन्यजीव अपराध:** हाथी के दाँतों की काला बाज़ारी मांग, अवैध शिकार को बढ़ावा देती है।
  - दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बढ़ती मांग के कारण, भारत से स्टार कछुए की तस्करी में वृद्धि की संभावना है।
  - अवैध व्यापार के लिए मोर, पैंगोलिन और तेंदुओं का शिकार किया जाता है।

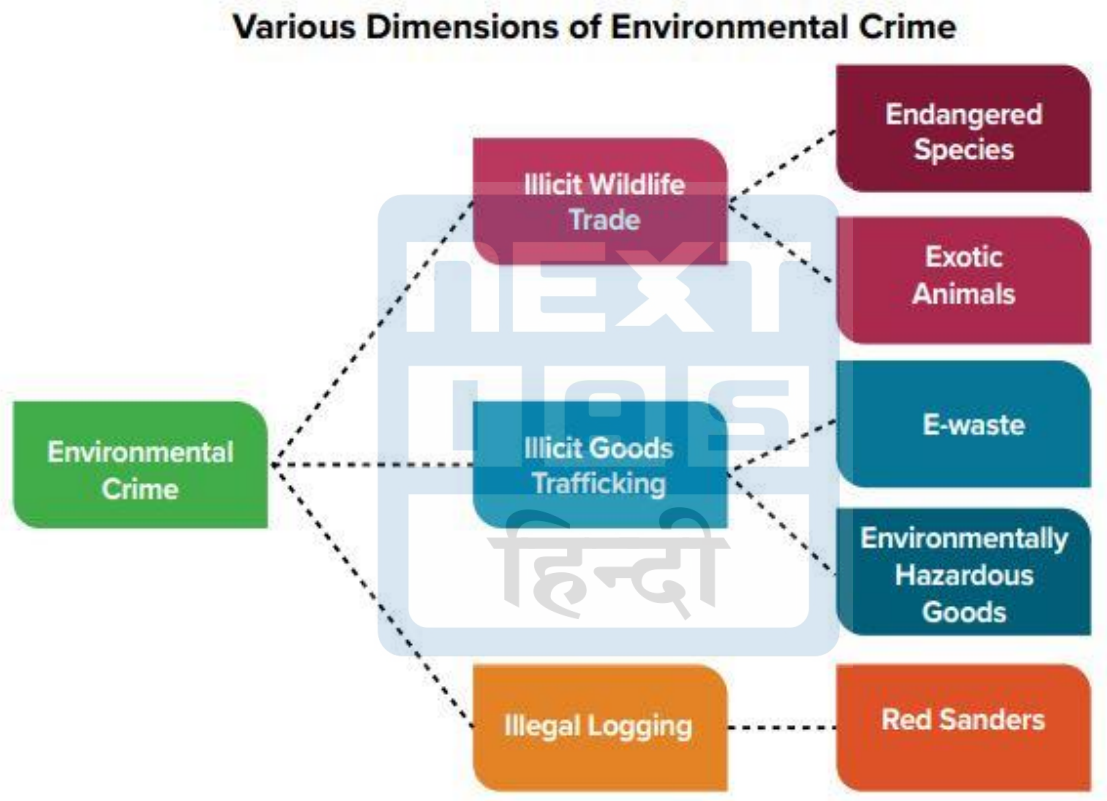

नार्को तस्करी मार्ग

- **डेथ क्रिसेंट (गोल्डन):** इसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो भारत में तस्करी की जाने वाली हेरोइन का प्राथमिक स्रोत है।
  - यह हेरोइन भारत-पाकिस्तान सीमा और समुद्री मार्गों के पारंपरिक मार्गों के अतिरिक्त मुख्य रूप से अफ्रीकी और खाड़ी क्षेत्रों के माध्यम से भारत में आती है।
- **डेथ ट्राएंगल (गोल्डन):** इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के क्षेत्र शामिल हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स और हेरोइन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
  - ड्रग्स पूर्वोत्तर राज्यों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं, जहाँ कठिन भूभाग और छिद्रपूर्ण सीमाएँ कई प्रवेश बिंदुओं पर तस्करी को आसान बनाती हैं।

- **समुद्री मार्ग:** भारत की विशाल तटरेखा नशीली दवाओं के तस्करों के लिए अवसर प्रस्तुत करती है, शिपिंग कंटेनरों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं में छिपाकर नशीली दवाओं की तस्करी के मामले देखे गए हैं।
- **वायु मार्ग:** अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की गति और बढ़ती मात्रा के कारण यह तस्करों के लिए एक शक्तिशाली तरीका बन गया है।
    - ड्रग्स को प्रायः सामान, कूरियर पैकेज में छुपाया जाता है या वाहकों (जिन्हें "म्युल" के रूप में जाना जाता है) द्वारा निगला जाता है।

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI)

- यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के तत्वावधान में तस्करी विरोधी मामलों पर प्रमुख खुफिया और प्रवर्तन एजेंसी है।
- यह 1957 में अस्तित्व में आई।
- **कार्य:**
    - मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों की तस्करी के मामलों को रोकना और उनका पता लगाना।
    - सोना, हीरे, कीमती धातुएँ, वन्यजीव उत्पाद, हथियार, नकली मुद्रा नोट, प्राचीन वस्तुएँ आदि।
    - संगठित अपराध समूहों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना।
    - यह वाणिज्यिक धोखाधड़ी और सीमा शुल्क चोरी के मामलों का पता लगाने में भी लगा हुआ है।

अवैध नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ उठाए गए कदम

वैश्विक पहल:

- **संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC):** UNODC अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई में सबसे आगे है। UNODC के नेतृत्व वाले अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड (INCB):** INCB वैश्विक मादक पदार्थ स्थिति की निगरानी करता है और अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों के साथ देशों के अनुपालन का आकलन करता है।

- **पेरिस संधि पहल:** यह पहल अफगान अफीम की तस्करी से निपटने पर केंद्रित है, जो वैश्विक स्तर पर अवैध मादक पदार्थों का एक प्रमुख स्रोत है।

भारतीय पहल:

- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट):** व्यापक कानून भारत में नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अवैध दवाओं के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है।
- **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB):** NCB भारत में ड्रग कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार नोडल एजेंसी है। यह नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के लिए विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।
- **एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF):** कई राज्यों ने राज्य स्तर पर ड्रग कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए ANTF की स्थापना की है।
- **नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य रोकथाम, उपचार, पुनर्वास एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अवैध दवाओं की मांग को कम करना है।
- **नशा मुक्त भारत अभियान:** 2020 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। यह सामुदायिक आउटरीच, शिक्षा और पुनर्वास कार्यक्रमों पर केंद्रित है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

एकलिंगजी मंदिर(Eklingji Temple)

समाचार में

- उदयपुर स्थित एकलिंगजी मंदिर ने हाल ही में नए नियम लागू किए हैं, जिनमें ड्रेस कोड और मोबाइल फोन प्रतिबंध शामिल हैं, जिसका उद्देश्य मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना है।

एकलिंगजी मंदिर के बारे में

- **समर्पित देवता:** भगवान शिव, जिन्हें एकलिंग नाथ के रूप में पूजा जाता है, वे मेवाड़ राज्य के शासक देवता हैं।
- **स्थान:** कैलाशपुरी, उदयपुर, राजस्थान से लगभग 22 किमी.
- **निर्माण:** 8वीं शताब्दी में मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा।
    - यह मेवाड़ राजाओं की आध्यात्मिक और प्रशासनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्होंने भगवान एकलिंग नाथ के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था।
- **वास्तुकला शैली:** मंदिर परिसर में 108 मंदिर हैं, जिनमें काले संगमरमर से बना चार मुख वाला शिव

लिंगम है, जो भगवान शिव के चार रूपों का प्रतीक है।
    - मूल रूप से पाशुपत संप्रदाय, फिर नाथ संप्रदाय और बाद में रामानंदियों से जुड़ा हुआ है।
- **सांस्कृतिक महत्व: शाही संबंध:** ऐतिहासिक रूप से मेवाड़ शाही परिवार द्वारा प्रबंधित, जो भगवान एकलिंग नाथ को मेवाड़ का असली शासक मानते हैं।
    - मेवाड़ का दीवान देवता के सांसारिक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

Source: IE

नया राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

सन्दर्भ

- विशेषज्ञों की समिति ने मंत्रालय द्वारा व्यापक पहुंच और प्रत्यक्ष निगरानी के साथ राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन (एनएमएम) को जारी रखने की सिफारिश की है।

परिचय

- **मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय
- **स्थापना:** 2003 (10वीं पंचवर्षीय योजना)
- **उद्देश्य:** भारतीय पांडुलिपियों तक पहुँच को संरक्षित करना और बढ़ावा देना।
    - यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के तहत एक इकाई के रूप में कार्य करता है, जिसके लिए संगठन को धन मुहैया कराया जाता है।
    - यह पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
    - निवारक संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

Source: PIB

नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना

सन्दर्भ

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया है कि 2026 तक समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान नमो ड्रोन दीदी केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 15 हजार ड्रोन प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।

प्रमुख विशेषताऐं

- **ड्रोन सब्सिडी:** ड्रोन की लागत का 80% सब्सिडी के रूप में कवर किया जाता है (₹8 लाख तक)।
    - कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत ऋण के माध्यम से शेष लागत का वित्तपोषण किया जाता है।
- **आसान ऋण शर्तें:** 3% ब्याज दर पर ऋण।
- **ड्रोन पायलट प्रशिक्षण:** ड्रोन पैकेज में व्यापक प्रशिक्षण शामिल है। सटीक खेती और उर्वरकों, कीटनाशकों और शाकनाशियों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करें।
- **आय के अवसर:** SHGs किसानों को ड्रोन छिड़काव सेवाएँ किराए पर देकर प्रति वर्ष अतिरिक्त ₹1 लाख कमा सकते हैं।
- **कार्यान्वयन अवधि:** 2024-25 से 2025-26 के दौरान 15,000 महिला SHGs को ड्रोन से युक्त करने का लक्ष्य।

लाभ

- महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में योगदान देता है।
- कृषि दक्षता को बढ़ाता है और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- बुनियादी स्तर पर आधुनिक तकनीक को पेश करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है।

Source: AIR

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

सन्दर्भ

- पंचायती राज मंत्रालय ने मूल्यांकन वर्ष 2022-2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है।

परिचय

- यह पुरस्कार गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, बाल कल्याण, जल संरक्षण, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे, सामाजिक न्याय, शासन और महिला सशक्तीकरण में उनके प्रयासों के लिए पंचायतों को मान्यता देता है।
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के लिए कुल 45 पुरस्कार विजेताओं (36 ग्राम पंचायतें, 3 ब्लॉक पंचायतें, 3 जिला पंचायतें और 3 संस्थान) का चयन किया गया है।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के अंतर्गत श्रेणियाँ

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार
- नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार
- **पुरस्कारों की विशेष श्रेणियां**
    - ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार,
    - कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, और
    - पंचायत क्षमाता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार।

Source: PIB

उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) के कार्यान्वयन के लिए मसौदा दिशानिर्देश

सन्दर्भ

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा में पूर्व शिक्षा की मान्यता (RPL) के कार्यान्वयन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है।

परिचय

- **उद्देश्य:** शिक्षा तक पहुँच प्रदान करना और आजीवन शिक्षा की अवधारणा को सक्षम बनाना।
- दिशानिर्देशों में RPL को एक औपचारिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के वर्तमान ज्ञान, कौशल और औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
    - RPL राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है।
- RPL दिशानिर्देशों के उद्देश्यों में गैर-औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण विधियों के माध्यम से दक्षता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को उच्च शिक्षा कार्यक्रमों तक पहुँचने में सक्षम बनाना शामिल है।
- **महत्व:**

- यह तेजी से बदलते श्रम बाजार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम और अनुकूलनीय कार्यबल विकसित करने के लिए आजीवन सीखने का समर्थन करता है।
- दिशानिर्देश हाशिए पर पड़े समूहों को मान्यता प्राप्त योग्यता प्राप्त करने और अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने का अवसर प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)

- 1956 में स्थापित, यह विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्त पोषण प्रदान करता है, शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है, और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देता है।
- UGC के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
  - **विश्वविद्यालयों को मान्यता देना:** यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है।
  - **वित्त पोषण:** विकास, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  - **मानकों को विनियमित करना:** उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षण, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे में गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है।
  - **शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देना:** विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और नए पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करता है।

Source: TH

LIC की बीमा सखी योजना

सन्दर्भ

- प्रधानमंत्री ने हरियाणा में जीवन बीमा निगम की 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया है।

परिचय

- यह 18-70 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है, जो दसवीं कक्षा पास हैं।
- वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पहले तीन वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं वृति दिया जाएगा।
- वे LIC एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं और स्नातक बीमा सखियों को LIC में विकास अधिकारी की भूमिका के लिए अर्हता प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)

- यह भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी।
- इसका गठन 200 से अधिक निजी जीवन बीमा कंपनियों और भविष्य निधि समितियों के विलय से हुआ था।
- इसका उद्देश्य पूरे देश में जीवन बीमा का प्रसार करना और इसे जनसँख्या के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना है।

Source: PIB

उपराष्ट्रपति की पदच्युति

सन्दर्भ

- विपक्षी भारतीय ब्लॉक के सांसद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ सत्तारूढ़ NDA का कथित रूप से पक्ष लेने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति को हटाना

- उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 67 (b), 92 और 100 में उल्लिखित है।
  - अनुच्छेद 67 (b) के तहत, उपराष्ट्रपति को राज्य सभा में बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है और कम से कम 14 दिनों के नोटिस के साथ लोक सभा द्वारा सहमति दी जा सकती है।
  - **अनुच्छेद 92:** जब तक उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक अध्यक्ष या उपसभापति का अध्यक्षता न करना।
  - **अनुच्छेद 100:** सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति।
- ऐसा प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रस्ताव पेश करने के उद्देश्य से कम से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो।
- **प्रक्रिया:**
  - इसकी शुरुआत राज्य सभा में प्रस्ताव पेश करने से होती है, जिसके लिए उपस्थित सदस्यों के 50% बहुमत के साथ-साथ मतदान के दिन एक बहुमत की आवश्यकता होती है।
  - यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो यह लोकसभा में चला जाता है, जहाँ इसे प्रभावी होने के लिए बहुमत से पारित होना चाहिए।
- जब दोनों सदन प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है।

Source: IE

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA)

सन्दर्भ

- भारत-ऑस्ट्रेलिया CECA के लिए 3 दिवसीय समीक्षा यात्रा हाल ही में संपन्न हुई।
  - इस दौरान वस्तुओं, सेवाओं, गतिशीलता, कृषि-तकनीक सहयोग आदि के व्यापार क्षेत्रों पर चर्चा की गई।

परिचय

- CECA दो देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है जो उनके द्विपक्षीय व्यापार को मज़बूत करता है।
- ऑस्ट्रेलिया और भारत ने पहली बार 2011 में CECA के लिए बातचीत शुरू की थी। 2016 में बातचीत स्थगित कर दी गई थी।
- 2021 में, दोनों देशों ने औपचारिक रूप से CECA वार्ता को फिर से शुरू किया।
- दोनों देश CECA के तहत अपने व्यापार संबंधों का विस्तार करना चाहते हैं, ताकि वस्तु, सेवाओं, उत्पत्ति के नियमों, सरकारी खरीद, डिजिटल व्यापार और कृषि-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को कवर किया जा सके।
- इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों की क्षमता को अनलॉक करना भी है।

- 2023-24 में, ऑस्ट्रेलिया से भारत का आयात 15% घटकर 16.15 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया, जबकि भारत का निर्यात 14.23% बढ़कर 7.94 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- ऑस्ट्रेलिया भारत का 13वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और भारत के लिए 14वां सबसे बड़ा आयात स्रोत है।

Source: PIB

बांस की कोपलें (Bamboo Shoots)

समाचार में

- मेली-एमिली में मोटापा-रोधी गुणों की खोज आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक खाद्य प्रणालियों की क्षमता को उजागर करती है।
  - निष्कर्षों से पता चलता है कि मेली-एमिली लिपिड संचय को कम करने और वसा जलने को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है, जिससे यह वजन प्रबंधन और चयापचय स्वास्थ्य के लिए एक संभावित प्राकृतिक समाधान बन जाता है।

मेली-एमिली (Melye-Amiley) के बारे में

- **परिभाषा:** त्रिपुरा का पारंपरिक किण्वित बांस का अंकुर, जो अपने अद्वितीय स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है।
- **क्षेत्र:** त्रिपुरा, जो उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है।
- **स्रोत:** स्थानीय रूप से किण्वित बांस के अंकुरों से प्राप्त, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।

Source: PIB

टंगस्टन(Tungsten)

समाचार में

- तमिलनाडु विधानसभा ने क्षेत्र में खनन के पर्यावरणीय और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में चिंताओं का उदाहरण देते हुए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए गए टंगस्टन खनन अधिकारों को तत्काल रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया है।

टंगस्टन के बारे में

- **उपस्थिति:** चमकदार, चांदी जैसी सफ़ेद धातु।
- **गुण:** उच्च गलनांक, उच्च घनत्व, उच्च तापमान पर कठोरता और मजबूती।
- **उपस्थिति:** पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से लगभग विशेष रूप से अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में पाया जाता है।
- **मुख्य अयस्क:** स्कीलिट और वोल्फ्रामाइट
- **उपयोग:** उच्च तापमान अनुप्रयोग जैसे तापदीप्त प्रकाश बल्बों के तंतुओं, आर्क-वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आदि में उपयोग किया जाता है
- टंगस्टन कार्बाइड (WC) एक अत्यंत कठोर और घिसाव प्रतिरोधी पदार्थ है जिसका उपयोग काटने के औजारों में किया जाता है।
  - विभिन्न औद्योगिक और रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है।

- **भारत में कानूनी स्थिति:** खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची के तहत एक प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत। इसका तात्पर्य है कि इसकी खोज और खनन सरकार द्वारा विनियमित है।

Source: TH

हिंडन नदी

समाचार में

- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी, जिसे प्रायः भारत का शुगर बाउल कहा जाता है, अपने किनारों पर बसे समुदायों के लिए जीवन रेखा हुआ करती थी, लेकिन अब यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को ढोने वाले नाले में परिवर्तित हो गई है।
    - पर्यावरण विशेषज्ञों ने इसे गंभीर प्रदूषण और जलीय जीवन की कमी के कारण "मृत" घोषित कर दिया है।

हिंडन नदी के बारे में

- **उद्गम:** उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक पहाड़ियाँ।
- **लंबाई:** यमुना नदी में विलय से पहले लगभग 400 किलोमीटर।
- **सहायक नदियाँ:** प्रमुख सहायक नदियों में कृष्णी और काली नदियाँ शामिल हैं, जो इसके प्रवाह एवं प्रदूषण के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व:** एक समय में इसे इसके किनारे के समुदायों के लिए जीवन रेखा माना जाता था। इस क्षेत्र में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका के कारण इसे भारत के शुगर बाउल के हिस्से के रूप में जाना जाता है।
- **अत्यधिक प्रदूषित:** औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट को ले जाने वाले नाले में परिवर्तित हो गया है।

Source: DTE

इंडियन स्टार कछुआ (Indian Star Tortoise)

समाचार में

- हाल के अध्ययन के अनुसार, जब्त किए गए इंडियन स्टार कछुए को उचित वैज्ञानिक योजना के बिना जंगल में छोड़ना हानिकारक हो सकता है, क्योंकि वे बीमारियाँ फैला सकते हैं, उनकी आनुवंशिक संरचना भिन्न हो सकती है या कैद में उनके व्यवहार संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

इंडियन स्टार कछुए (जियोचेलोन एलिगेंस) के बारे में

- **विवरण:** सूर्य-पीले तारे के पैटर्न वाले अपने ओब्सीडियन खोल के लिए पहचाना जाने वाला।
    - शाकाहारी और एकान्तवासी; शीतनिद्रा में नहीं सोता, लेकिन अत्यधिक मौसम में निष्क्रिय हो जाता है।
    - भारत और श्रीलंका में स्थानिक, उत्तर-पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है।

- **संरक्षण की स्थिति:**
  - **CITES:** परिशिष्ट I में सूचीबद्ध (वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है)।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (भारत):** अनुसूची I (उच्चतम संरक्षण)।
  - IUCN: असुरक्षित।
- **खतरे:** आवास की हानि, विदेशी पालतू व्यापार के लिए अवैध शिकार, जब्त किए गए कछुओं की अवैज्ञानिक रिहाई से पारिस्थितिक जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- **हाल के शोध निष्कर्ष:**
  - **आनुवंशिक विचलन:** दो अलग-अलग समूह उपस्थित हैं: उत्तर-पश्चिमी समूह: आनुवंशिक रूप से कम विविध लेकिन स्थिर।
  - **दक्षिणी समूह:** अत्यधिक विविध।
  - **ऐतिहासिक विकास:** गोंडवाना महाद्वीप से अलग होने के दौरान जलवायु और आवास में परिवर्तन के कारण लगभग 2 मिलियन साल पहले विचलन हुआ था।

Source: TH

INS तुषिल

सन्दर्भ

- स्टील्थ फ्रिगेट INS तुषिल को रूस में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।

परिचय

- 2016 में भारत एवं रूस ने चार स्टील्थ फ्रिगेट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से दो रूस में और दो गोवा में बनाए जाएंगे।
  - दूसरे फ्रिगेट तमाल को अगले वर्ष की पहली तिमाही में रूस में भारतीय नौसेना को सौंपे जाने की सम्भावना है।

INS तुषिल के बारे में

- यह परियोजना 1135.6 का उन्नत क्रिवाक III श्रेणी का फ्रिगेट है, जिसमें से छह पहले से ही सेवा में हैं।
- तुशील का अर्थ है "रक्षक कवच", और इसका शिखर "अभेद्य कवचम" का प्रतिनिधित्व करता है।
- इसका आदर्श वाक्य "निर्भय, अभेद्य और बलशील" है।
- इसे सभी चार आयामों - वायु, सतह, पानी के नीचे और विद्युत चुम्बकीय - में नौसैनिक युद्ध के स्पेक्ट्रम में नीले पानी के संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित कई उन्नत हथियारों से युक्त है।

Source: PIB

■■■■